सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी श्री सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 120/2018

बउनवान

पृथ्वीराज सिंह उम्र 50 वर्ष पुत्र सज्जनसिंह जाति राजपूत निवासी बमोरीघाटा तहसील छीपाबडौद जिला बारॉ

(अपीलांट)

बनाम

1– ऋषिराज सिंह पुत्र जालिम सिंह राजपूत निवासी बमोरीघाटा तहसील छीपाबडौद
2– रणवीर सिंह पुत्र भगवान सिंह राजपूत निवासी बमोरीघाटा तहसील छीपाबडौद

(रेस्पोडेन्ट)

अपील विरूद्ध तहसीलदार छीपाबडौद द्वारा प्रकरण संख्या/न्याय/रास्ता/2018/21–26 मे पारित आदेश दिनांक 29.06.2018 अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251

उपस्थित :– 1– श्री बृजराज सिंह चौहान अभिभाषक **(अपीलांट)**

आदेश दिनांक 29.08.2018

अपीलांट द्वारा जर्ये अभिभाषक अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गई। जिसके संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छीपाबडौद द्वारा अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251 के तहत उनके प्रकरण संख्या/न्याय/रास्ता/2018/21–26 मे पारित आदेश दिनांक 29.06.2018 के विरूद्व अपील इस न्यायालय मे अपील प्रस्तुत की गई है।

इस पर प्रकरण दिनांक 29.8.2018 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अपीलांट के अभिभाषक की लिमिटेशन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 पर एकपक्षीय बहस सुनी गई। दौराने बहस अपीलांट के अभिभाषक द्वारा निवेदन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित एकतरफा निर्णय की जानकारी अपीलांट को दि. 22.7.2018 को हुई है, इस पर दिनांक 23.7.2018 को नकल प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन पत्र अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। उक्त आदेश की नकल दिनांक 25.7.2018 को प्राप्त होने पर, रूपये पैसे का इन्तजाम करने मे समय लग गया है। इस कारण अपीलांट समय पर अपील प्रस्तुत नही कर सका। अपीलांट ने अपील प्रस्तुत करने मे जानबूझकर विलम्ब नही किया है। अतः लिमिटेशन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर, विस्तृत बहस सुनी जावे।

इस पर अपीलांट का लिमिटेशन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर, प्रकरण मे विस्तृत बहस अभिभाषक अपीलांट की एकपक्षीय सुनी गई।

अपीलांट के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस कथन किया कि प्रार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय मे धारा 251 राज0टी0एक्ट प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम नियाना वादीगण की खातेदारी की भूमि पर काश्त करने के लिए आने–जाने का रास्ता अप्रार्थीगण द्वारा अवरूद्व कर दिया गया है, जिसे खुलासा करवाये जाने हेतु निवेदन किया गया। प्रार्थना पत्र पर निरीक्षक भू–अभिलेख वृत्त गगचाना को मौका कमिश्नर नियुक्त कर मय नजरी नक्शे के जांच रिपोर्ट दिनांक 22.6.2018 मय नजरी नक्शे के दिनांक 29.6.2018 को न्यायालय मे प्रस्तुत की गई।

उक्त रिपोर्ट के मुताबिक खसरा नम्बर 178 जो लिंक रोड गगचाना से बमोरीघाटा को जोडता है, खसरा नम्बर 178 से लगा हुआ, खसरा नम्बर 170 पश्चिम रकबा 4.16 बीघा पृथ्वीराज सिंह पुत्र सज्जन सिंह राजपूत निवासी बमोरीघाटा के नाम दर्ज रिकार्ड है। खसरा नम्बर 170 से लगा हुआ खसरा नम्बर 167 व 168 है जो प्रार्थी ऋषिराज सिंह, शिवराज सिंह, यशवन्त सिंह पुत्रगण जालिम सिंह राजपूत निवासी बमोरीघाटा के नाम दर्ज है। खसरा नम्बर 167 व 168 पर खेती करने के लिए खसरा नम्बर 170 मे होकर आते–जाते थे। जो अभी खातेदार पृथ्वीराज सिंह पुत्र सज्जन सिंह द्वारा बन्द कर दिया गया है।

उक्त प्रार्थना पत्र का विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 29.6.2018 को बिना प्रार्थी को नोटिस दिए एवं बिना जवाबदेही का अवसर दिये एकतरफा रूप से करते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया और मुताबिक मौका कमिश्नर रिपोर्ट दिनांक 22.6.2018 एवं संलग्न नजरी नक्शे के अनुसार वादीगण के लगानी खेतो पर काश्त करने के लिए आने–जाने का 13 फीट चौडा रास्ता खुलासा कर चालू किए जाने का आदेश प्रदान किया गया कि ग्राम नियाना तहसील छीपाबडौद मे स्थित प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी पर 13 फीट चौडे रास्ते को ना तो स्वयं बन्द करे ना किसी और से बन्द करावे। इस रास्ते को हमेशा खुलासा रखे। उक्त निर्णय से अप्रसन्न होकर अपील पेश की गई है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं न्याय के प्राकृतिक सिद्वान्तों के विपरीत है। अपीलांट की खातेदारी की भूमि मे रास्ता दिये जाने के लिए डी.एल.सी. दर तय होती है, जिसका क्षेत्राधिकार माननीय अधीनस्थ न्यायालय को नही है। बल्कि 251 (क) राज0टी0एक्ट के प्रावधानो के तहत उपखण्ड अधिकारी को प्राप्त होता है। अपीलांट को बिना सुने एवं साक्ष्य एवं सफाई का अवसर दिये उक्त निर्णय विधि विरूद्व तरीके से पारित किया गया है। अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त फरमाये जाने हेतु निवेदन किया गया।

हमने अपीलांट के अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छीपाबडौद द्वारा अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251 के तहत उनके प्रकरण संख्या/न्याय/रास्ता/2018/21–26 मे पारित आदेश दिनांक 29.06.2018 का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया जाकर, मनन किया गया है। जिससे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से बाहर अन्तर्गत धारा 251 (क) राज0टी0एक्ट के प्रावधानो के तहत उक्त आदेश पारित किया गया है। जिसका श्रवणाधिकार उपखण्ड अधिकारी को प्राप्त है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर, न्यायालय तहसीलदार छीपाबडौद द्वारा अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251 के तहत उनके प्रकरण संख्या/न्याय/रास्ता/2018/21–26 मे पारित आदेश दिनांक 29.06.2018 निरस्त किया जाता है। अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट सक्षम न्यायालय मे वाद प्रस्तुत करने हेतु स्वतन्त्र है।

निर्णय आज दिनांक 29.08.2018 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर, सरे इजलास सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
अति0 जिला कलक्टर बारां